राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर (फोन नं. 0141–2222267)

क्रमांक 3570 दिनांक 1/6/16

संशोधित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर में लिफ्ट के वार्षिक रख रखाव सामान सहित के लिये संविदा हेतु आमंत्रित खुली निविदा सूचना संख्या 2340 दिनांक 20.05.2016 में अपरिहार्य कारणों से निविदा अवधि निम्नानुसार बढाई जाती है।

1. निविदा प्रपत्र विक्रय करने की अंतिम तिथि 08.06.2016 को 4.00 बजे तक।
2. भरे हुये निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि 09.06.2016 को 1.00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि 09.06.2016 को 2.00 बजे।

अन्य शर्तें मूल निविदा सूचना अनुसार यथावत।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को पूर्व में प्रकाशित मूल निविदा वाले एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण / जयपुर शहर / अधीक्षक मानसिक विमंदित महिला एवं बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर।
4. ACP कार्यालय नोटिस बोर्ड।
5. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड **sje.rajasthan.gov.in**, मे अपलोड करवाने का श्रम करें तथा पूर्व मे प्रकाशित निविदा के दस्तावेजों को सही कराने का श्रम करावें।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर (फोन नं. 0141–2222267)

क्रमांक [illegible]

दिनांक [illegible]

खुली निविदा आमंत्रण

राजस्थान सरकार की ओर से निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर में [illegible] लिफ्ट के वार्षिक रख रखाव सामान सहित के लिये संविदा हेतु मुहरबन्द निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	NIT सं.	कार्य का विवरण	अवधि	अनुमानित लागत	धरोहर राशि	निविदा प्रपत्र विक्रय की अंतिम तिथि	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	निविदा खोलने की तिथि
1	2/2016 –17	निदेशालय विशेष योग्यजन में स्थापित लिफ्ट के वार्षिक रख रखाव सामान सहित की संविदा (पैसेंजर एलिवेटर, ओटेगा कम्पनी, क्षमता 16 पर्सन्स, 1088 किलो ग्राम)	एक वर्ष	140000/–	2800/–	01.06.2016 को 4.00 बजे तक	02.06.2016 को 01.00 बजे तक	02.06.2016 को 02.00 बजे

निविदा से संबंधित विवरण वेबसाइट **sppp.rajasthan.gov.in** एवं विभागीय वेबसाइट **sje.rajasthan.gov.in** एवं कार्यालय समय में कार्यालय में देखा जा सकता है।

निविदा प्रपत्र 200/– नकद जमा करा कर कार्यालय समय में निविदा प्रकाशन की तिथि से दिनांक 01.06.2016 को 4.00 PM तक प्राप्त किया जा सकता है।

नोट:–1. एक बार जमा कराया गया निविदा शुल्क लौटाया नही जायेगा

2. यदि निविदा प्रपत्र वेबसाइड से डाउन लोड किया जाता है तो निविदा प्रपत्र की राशि का भुगतान किसी भी शिड्यूल्ड बैंक द्वारा जारी किया गया डि.ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक द्वारा जो कि निदेशक, विशेष योग्यजन जयपुर के पक्ष में देय हो निविदा प्रपत्र जमा कराते समय साथ में दिया जावें अन्यथा निविदा फार्म रद्द कर दिया जावेगा।

(सत्य प्रकाश बसवाला)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक 2341–45

दिनांक– 20–5–16

प्रतिलिपि:–

1. श्रीमान निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,राजस्थान जयपुर को 5 प्रतियां भेजकर निवेदन है कि निविदा को एक क्षैत्रीय समाचार पत्र में नियमानुसार तत्काल प्रकाशित करावें।
2. श्रीमान निजी सचिव, निदेशक महोदय, विशेष योग्यजन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान जयपुर।
3. श्रीमान लेखाधिकारी निदेशालय विशेष योग्यजन,जयपुर को भेजकर निवेदन है कि राज्य उपापन पोर्टल SPPP.rajasthan.gov.in पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
4. नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु कार्यालय निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग / उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर ग्रामीण / जयपुर शहर / अधीक्षक महिला बाल कल्याण पुनर्वास गृह, जयपुर।
5. कार्यालय नोटिस बोर्ड
6. ACP सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेज कर लेख है कि विभागीय वेबसाईड sje.rajasthan.gov.in ,अपलोड करवाने का श्रम करें।

अतिरिक्त निदेशक

राजस्थान सरकार

निदेशालय विशेष योग्यजन, जयपुर

निविदा प्रपत्र

1 विषय: निदेशालय में स्थापित लिफ्ट के वार्षिक रख रखाव हेतु संविदा के लिए निविदा प्रपत्र।

2 निविदादाता फर्म/संवेदक का नाम एवं डाक का पता..

3 निविदादाता फर्म/संवेदक का फोन एवं मोबाइल नम्बर ....

4 सन्दर्भ निविदा सूचना क्रमांक– 2 /2016–17 दिनांक ....

5 निविदा शुल्क की राशि 200/– अक्षरे दो सौ मात्र नकद (रसीद संख्या)/ डी.डी /बैंकर्स चैक नम्बर..........................दिनांक.....................के द्वारा जमा करा दी गयी है।

6 हम **निदेशक, विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर** द्वारा जारी की गयी निविदा सूचना संख्या 2/2016–17 दिनांक.....................में वर्णित सभी शर्तो से तथा सलग्न शीट(इनके सभी पृष्टो पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये है) में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।

7 लिफ्ट के वार्षिक रख रखाव के कार्य बाबत हमारी दर निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कुल वार्षिक दर (सभी समस्त कर एवं अन्य आनुषंगिक प्रभारों के विवरण सहित)	निधि
1	2	3	4
1.	निदेशालय में स्थापित ओमगा एलेवेटर्स की वार्षिक रख रखाव हेतु सामान सहित दर संविदा	रुपये अंको में.................. शब्दों में..	

8 फर्म द्वारा आदेश प्राप्त करने की दिनांक से 7 दिवस की अवधि के भीतर संविदा प्रभावी मानी जायेगी ।

9 बयाना राशि रुपये 2800/–अक्षरे दो हजार आठ सौ मात्र के पेन बैंक ड्राफ्ट /बैंकर्स चेक संख्या .... जो (बैंक का नाम) ...

.... [illegible]

चालान संख्या ....और दिनांक............ द्वारा ...... संलग्न है।

10 पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या.. ...दिनांक .... वैधता अवधि .... की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

11 आयकर स्थाई खाता संख्या.......................................

12 सर्विस टैक्स पंजीयन संख्या.. ...दिनांक... ......

13 अन्य संलग्न प्रमाण पत्रों का विवरण (प्रमाण पत्रों की प्रति संलग्न करें।

1

2.

3.

4.

5.

निविदा देने वाले के हस्ताक्षर मय नाम

प्रतिबन्ध एवं शर्ते

टिप्पणीः– निविदादाताओ को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिये तथा अपनी निविदाये भेजते समय इन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाना चाहिये ।

1 निविदादाता को निविदा प्रपत्र में दिये गये निर्देशों के [illegible] मोहर बन्द [illegible] लिफाफे पर कार्यालय में स्थापित [illegible] हेतु निविदा' अंकित करना होगा।

2 व्यक्ति/संस्था/फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदाओं पर क्रय समिति द्वारा विचार किया जायेगा। इस संबंध में क्रय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

3 निविदादाता को अनुमानित लागत रू 140000/- का 2 प्रतिशत राशि रू 2800/ बयाना राशि (अर्नेस्टमनी) एक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के द्वारा निदेशक निदेशालय विशेष योग्यजन जयपुर के नाम निविदा पत्र के साथ जमा करानी होगी। बिना बयाना राशि जमा कराए निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा ।

4 फर्म को किसी प्रतिष्ठित संस्था में लिफ्ट संचालन एवं वार्षिक रख–रखाव का दो वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। अनुभव का प्रमाण पत्र, आयकर स्थायी खाता संख्या (पेन कार्ड) एवं रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, सर्विस टैक्स का पंजीयन प्रमाण पत्र संबंधी दस्तावेज, प्रस्तुत करना अनिवार्य है। (प्रमाणित प्रतियां) उस के बिना निविदा पर विचार नही किया जायेगा।

5 फर्म आदि के गठन का किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में अनुबन्धित फर्म/संस्था द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नही किया जावेगा। संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नये भागीदारों को ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नही किया जावेगा जबकि वे इसकी समस्त शर्तो को मानने के लिये बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरारनामा प्रस्तुत नही कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिये ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप से स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बाध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिये पर्याप्त रूप से उन्मुक्त होगी।

6 निविदादाता द्वारा दरें उचित स्थान पर अंकों एवं शब्दो दोनों में लिखी जानी चाहिये। निविदा के प्रत्येक पृष्ट एवं काट छांट पर निविदादाता के पूर्ण हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है। निविदा प्रपत्र बालपेन या टंकण से भरा जावेगा।

7 मोहर बंद निविदा प्रपत्र मय बयाना (अर्नेस्टमनी) राशि 2800/–(अक्षरे दो हजार आठ सौ मात्र) दिनांक 01.06.2016 को 1.00 बजे दोपहर तक निदेशालय विशेष योग्यजन विभाग, जयपुर के कार्यालय में रखे हुये टेण्डर बाक्स में पहुंच जानी चाहिये निविदाये दिनांक 02.06.2016 को 02.00 बजे खोली जावेगी ।

8 विधि मान्यता . निविदाये उनके खोले जाने के दिनांक से तीन माह की अवधि के लिये विधि मान्य होगी।

9 ठेकेदार अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिये नहीं सौंपेगा या उप भाड़े (सबलैट) पर नही देगा।

10 निविदादाता का/उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

11 असफल निविदादाताओं को बयाना राशि एक माह मे (निविदा स्वीकृत होने की तिथि से) वापस कर दी जायेगी।

12 करार एवं प्रतिभूति निक्षेपः–

i सफल निविदादाता को आदेश के प्राप्त होने से 7 दिवस की अवधि के भीतर निर्धारित प्रारूप मे एक करार 500 /–रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर निष्पादित करना होगा तथा जिस कार्य के लिये निविदाये स्वीकार की गई है। उनके मूल्य के 5 प्रतिशत के बराबर प्रतिभूति जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनाक से जिसको निविदा के स्वीकार किये जाने की सूचना उसे दी गई है, 7 दिवस के भीतर जमा करायी जायेगी ।

ii निविदा के समय जमा करायी गयी बयाना राशि को प्रतिभूति की राशि कि लिये समायोजित किया जायेगा। प्रतिभूति की राशि किसी भी दिशा में बयाना राशि से कम की नही होगी।

iii प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा

iv प्रतिभूति राशि के रूप निम्न प्रकार होंगे:—

(क) नकद द्वारा (बैंकर्स चैक) चालान की रसीदी प्रति,

(ख) डाकघर बचत बैंक खाता बुक जिसे विधिवत गिरवी रखा जावेगा

(ग) अल्प बचत को प्रोत्साहन देने के लिये राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों या राष्ट्रीय रक्षा प्रमाण पत्र, डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स, किसान विकास पत्र या अन्य कोई स्कीम/बिलम्ब जो उन्हें गिरवी रखा जा सकता हो। इन प्रमाण पत्रों का उनके समर्पण मूल्य (सरेण्डर वैल्यू) पर स्वीकार किया जावेगा।

V करार पत्र का पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने का व्यय निविदादाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपर्ण निःशुल्क प्रस्तुत की जायेगी।

Vi प्रतिभूति राशि ठेके की अवधि समाप्त होने पर ठेके को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर दिये जाने के बाद, यदि कोई देय बकाया नही है तो लिखित प्रार्थना पत्र देने पर एक माह में लौटा दी जावेगी।

13 बयाना राशि का समपहरण— बयाना राशि को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जायेगा:—

i जब निविदादाता निविदा खोलने के बाद किन्तु निविदा को स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है, उसमें रूपान्तरण करता है।

ii जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता हो।

iii जब निविदादाता ठेके के लिये आदेश देने के बाद प्रतिभूति राशि जमा नही कराता हो

iv जब वह विहित समय के भीतर कार्य आदेश के अनुसार कार्य प्रारंभ करने में असफल रहता हो

14 प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण: प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जावेगा —

i जब संविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

ii जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

iii प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्ति युक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

15. ठेकेदार द्वारा शर्तो का उल्लंघन करने पर उसे 15 दिवस का नोटिस देकर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।

16 ठेके की अवधि 1 वर्ष होगी। ठेका विभाग विकल्प पर 6 माह के लिये उन्हीं दरों पर बढाया जा सकेगा। जिसके लिये संवेदक बाध्य होगा।

17 ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र या अन्य कोई त्रुटि पायी जाने पर निविदा को रद्द करने का अधिकार निदेशक विशेष योग्यजन को होगा।

18. सरकार द्वारा विहित सेवा कर (सर्विस टैक्स) एवं अन्य सभी कर आदि फर्म द्वारा ही वहन किये जावेंगे। अर्थात सभी कर सम्मिलित करते हुए दरें प्रस्तुत करें। बाद में विभाग द्वारा उसे कोई अतिरिक्त राशि देय नही होगी।

19. भुगतान—भुगतान अग्रिम नहीं किया जायेगा। जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाय, कार्य के लिए भुगतान निविदादाता द्वारा क्रेता अधिकारी को उचित प्रारूप में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अनुसार बिल प्रस्तुत करने पर त्रैमासिक रूप से किया जायेगा।

20. यदि निविदादाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है, जो उसमें अंतर्विष्ट शर्तों के अतिरिक्त हैं तो ऐसी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर नामंजूर किया जावेगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जायेगा, जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किये गये निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

21. क्रय समिति किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, स्वीकार करने बिना कोई कारण बतलाये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिये या किसी एक या अधिक के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म/सप्लायर से अधिक को कार्य विभाजित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

22. निविदादाता करार का निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।—

i यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अभिप्रमाणित प्रति।

ii यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार आफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

iii एक मात्र व्यक्ति के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता टेलीफोन नंबर।

iv कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

23. यदि संविदा के निर्वचन आशय या संविदा की शर्तो के उल्लघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा, जो उस विवाद के लिये एक मात्र मध्यस्थ के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी को नियुक्त करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से सबद्ध नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा एवं मान्य होगा।

24 समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सरकार या ठेकेदार) द्वारा जयपुर में जिला न्यायालय में ही पेश की जायेगी अन्यत्र पेश नहीं की जायेगी।

25. लिफ्ट की रख–रखाव का कार्य निर्धारित अवधि में नियमित रूप से किया जाना होगा। जिसमे लिफ्ट की लुब्रिकेन्ट, रबड वाशर, बियरिंग, गुटके, स्विचेज, लिफ्ट की लाईट, पंखे एवं साफ–सफाई (जहां पर स्वीपर द्वारा साधारणतया सफाई नहीं की जा सकती) इत्यादि शामिल होगी। इसके अतिरिक्त अन्य मरम्मत भी जो भी लिफ्ट के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक हो (सामान सहित) सम्मिलित होगी, शामिल होगी।

26. आपातकालीन परिस्थितियों में, किसी व्यक्ति के लिफ्ट में फस जाने पर, एवं ऐसी ही अन्य परिस्थितियां उत्पन्न होने पर सूचित किये जाने पर फर्म को अविलम्ब सहायता उपलब्ध करानी होगी।

27. साधारण लिफ्ट के संचालन एवं आपातकालीन परिस्थितियों में अन्तरिम राहत हेतु कार्यालय के तीन कर्मियों को प्रशिक्षित करना होगा।

28. आपातकालीन परिस्थितियों में बुलाने के लिये फर्म के कर्मचारियों की पूर्ण सूचना उपलब्ध करानी होगी, जिसमें उनके नाम, मोबाईल नम्बर इत्यादि।

29. देखभाल का कार्य करते समय यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है या कर्मचारी किसी भी रूप में अपंग हो जाता है या अन्य नुकसान होता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं उसके लिये मुआवजा आदि देने का भार संवेदक द्वारा वहन किया जावेगा। विभाग इसके लिये किसी भी प्रकार से मददगार एवं जिम्मेदार नही होगा।

30. **ठेके की अवधि में यदि संवेदक के कर्मचारी द्वारा हडताल की जाती है या फर्म/संवेदक इस अवधि में देखभाल का कार्य करने में असमर्थ रहती है तो विभाग द्वारा संवेदक के रिस्क व कौस्ट पर अपने स्तर पर देखभाल कराने में राशि व्यय की जा सकेगी और वह राशि संवेदक को देय मासिक बिल की राशि में से अथवा उसके द्वारा जमा कराई गई प्रतिभूति राशि में से समायोजित कर ली जावेगी, परन्तु लाभ की स्थिति में संवेदक का कोई अधिकार नहीं होगा।**

31. निविदादाता [illegible] कार्य का वार्षिक रख–रखाव [illegible] प्रमाणस्वरूप आवश्यक प्रमाण पत्र [illegible] निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, उसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

32. [illegible], फर्म केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एव उनके उपक्रमों द्वारा [illegible] नहीं [illegible]

उपरोक्त कार्य संबंधी शर्तें, मैंने पढ़ ली है, और स्वीकार किया है।

(हस्ताक्षर निविदादाता)

एसआर प्ररूप-11

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/ हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने जिन वस्तु [illegible] [illegible] के लिये निविदा दी है उनका/उनके/ मैं बोनाफाइड विनिर्माता/ [illegible] विक्रेता/माल विक्रेता/ [illegible] माल विक्रय विपणन एजेन्ट [illegible] है।

यदि यह घोषणा गलत पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही [illegible] जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर दिया जा सकेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है,रद्द किया जा सकेगा।।

निविदादाता के हस्ताक्षर

नाम व पता